न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 प्रथम),सुलतानपुर।

उपस्थित–राकेश

(J.O.code no-U.P.-1701)

1–जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–687/2026

UPST010022962026

1–आमिर फिरदौस उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र फिरोज अहमद, निवासी ग्राम भोडसर, थाना साहबगंज, जिला चन्दौली।

–आवेदक/अभियुक्त।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य –विपक्षी/अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–55/2026,
अन्तर्गत धारा–64(2)(a)(i), 89, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता,
थाना बल्दीराय, जिला सुलतनपुर।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त आमिर फिरदौस पुत्र फिरोज अहमद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–55/2026, अन्तर्गत धारा–64(2)(a)(i), 89, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना बल्दीराय, जिला सुलतानपुर में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा सम्बन्धित थाना पुलिस की आख्या सहित केस डायरी का परिशीलन किया गया।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे कथित अभियोग में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 एवं 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एवं आन्तरिक परीक्षण में गम्भीर विरोधाभाष है। कथित पीड़िता बालिग है एवं स्वयं शादीशुदा तथा दो बच्चों की मॉ है तथा कथित प्राथमिकी में यह उल्लिखित किया गया है कि, उसके पति ने कथित पीड़िता को छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि, कथित पीड़िता एवं उसके पूर्व पति का विवाह–विच्छेद नहीं हुआ है, जिससे भी यह तथ्य असम्भाव्य होता है कि, आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथित पीड़िता को शादी करने का झांसा दिया गया। कथित पीड़िता अपने मो0न0–9971478740 से आवेदक/अभियुक्त के मो0न0–6388262145 से लगातार छह माह से बातचीत करती थी। कथित

पीड़िता आवेदक/अभियुक्त से दिनॉक–03.03.2026 को जेल में मिलने गयी थी। आवेदक/अभियुक्त डायल 112 में कांस्टेबिल के पद पर कार्यरत था, जिस कारण गॉव के कुछ व्यक्तियों द्वारा आवेदक/अभियुक्त से रंजिश रखी जाती थी, जिस कारण कथित पीड़िता द्वारा मात्र गॉव के कुछ व्यक्तियों के उकसाने पर अन्य–अन्य व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसके अलावा अन्य किसी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में कोई जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही विचारधीन है। अतः उसे जमानत प्रदान की जाये।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के साथ उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा बिना उसकी सहमति के गर्भपात कराये जाने व उसे भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर अपमानित किये जाने एवं उसे जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

4. वादिनी मुकदमा जरिए अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, उसके इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि, अभियुक्त पुलिस विभाग में कार्यरत था और जमानत प्रार्थमा, पत्र में पैरोकार मुल्जिम के भाई दानिश जिरदौस भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। जिस कारण स्थानीय पुलिस विभागीय कर्मचारी की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड रही है। प्रथम सूचना अंकित होने के बाद से शपथक ती के घर अभियुक्त के भाई व अन्य तमाम साथी बराबर सुलह करने रहे हैं और यह धमकी देते हैं कि यदि सुबह नहीं करोगी तो मामले को कानूनी रूप से इतना कमजोर कर दिया जायेगा कि अभियुक्त छूट जायेगा और तुम कुछ कर नहीं पाओगी। पीड़िता अति गरीब परिवार से है और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करती है, उसकी गरीबी व मजबूरी व जनबल की कमी को अभियुक्त व उसके सहयोगी जान रहे हैं। शपथकर्ती द्वारा अंकित करायी गयी, दूसरी छेड़खानी की घटना मुकदमा अपराध संख्या–07/2022 से स्वतः स्पष्ट है कि, प्रार्थिनी की आर्थिक कमजोरी के कारण बकरी चराने जाना पड़ा था और शपथकर्ती के अकेलेपन का लाभ अभिमुक्त उठाना चाहता था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित सारे तथ्य सही है अभियुक्त ने शपथकर्ती को बराबर आश्वासन देता रहा है कि, तुमको और तुम्हारे बच्चे को मैं अपना लूंगा मैं अभी कुंवारा हूँ तुमसे शादी

करूंगा। इसी झांसे से मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता था। शपथकर्ती के गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया, तब से प्रार्थिनी को उसके बातों पर अविश्वास उत्पन्न हुआ। प्रार्थिनी बराबर उसकी शादी करने के लिए कहने लगी तब वह प्रार्थिनी को तरह–तरह से डराने व धमकाने तथा मरवाने व जेल भेजवा देने हत्या करवा देने इत्यादि की धमकी देने लगा और कहने लगा कहीं शिकायत मत करना नहीं तो उसका परिणाम तुम्हारे व तुम्हारे बच्चों के लिए बुरा होगा, तब शपथकर्ती ने विवश होकर एफ0आई0आर0 दर्ज करवाया। शपथकर्ती को थाने की पुलिस मेडिकल कराने के लिए दिनॉक–03.03.2026 घर से लिवाकर आयी थी और रास्ते में बताया कि तुमको जेल भी चना पड़ेगा। जेलर के समक्ष तुम्हारा बयान होगा। शपथकर्ती स्वयं अपनी इच्छा से अभियुक्त से मिलने जेल नहीं गयी थी, जबकि शपथकर्ती के सथ छल करके जेल जे जाया गया था। शपथकर्ती एक अनपढ़ महिला है, किसी तरह केवल अपना हस्ताक्षर कर लेती हैं। शपथकर्ती अपनढ़ होने के कारण अनिभिज्ञता का अनुचित लाभ उठाने का का प्रयास अभियुक्त की मिलीभगत के कारण किया गया है। अभियुक्त के सहयोगीगण बराबर शपथकर्ती को गवाही देने से मुकरने के लिए दबाव बना रहे हैं तथा भय एवं धमकी दे रहे हैं, जिसे शपथकर्ती व उसके परिवार में भय व्याप्त है। शपथकर्ती के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना की संभाव्यता विद्यमान है। शपथकर्ती के पति से बिरादरी में छूटा–छूटी हो चुकी है और शपथकर्ती अपने बच्चों के साथ मायके में रहकर जीवनयापन कर रही है। अभियुक्त द्वारा शपथकर्ती से झूठ बोलकर अपने को कुंवारा बताकर तथा शादी करने व बच्चों को भी अपनाने का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है, जोकि पूर्णतः दण्डनीय अपराध है, यदि अभियुक्त जेल से छूटता है तो गवाहान को डराने धमकाने व विवेचना प्रभावित करने का प्रबल अन्देशा है। शपथकर्ती ऑनलाइन बैंकिंग अथवा मोबाइल बैंकिंग न करना जानती है, न ही कभी किया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा की जाए।

5. अभियोजन की ओर से यह बहस की गयी है कि, आवेदक/अभियुक्त एक पुलिसकर्मी है, उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा आदि का ध्यान रखे, परन्तु आवेदक/अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित थाने पर तैनाती के दौरान अपने क्षेत्राधिकारिता सम्बन्धी गॉव में पीड़िता के साथ उक्त अपराध कारित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

6. सुना तथा सम्बन्धित थाने की आख्या सहित केस डायरी का परिशीलन किया।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, ''प्रार्थिनी अनीता पुत्री सन्तराम ग्राम गौराबरामऊ, थाना बल्दीराय, जनपद सुलतानपुर की निवासिनी है। प्रार्थिनी का विवाह हुआ है, किन्तु पति ने प्रार्थिनी को छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया और दूसरी पत्नी से बच्चे भी हैं। प्रार्थिनी पति के विवाद के बाद से अपने पिता के घ ार पर ही रहती है, प्रार्थिनी के दो बच्चे भी हैं। प्रार्थिनी से थाना बल्दीराय में डायल 112 पुलिस के सिपाही ए०एफ० खान जो कार्यरत है अक्सर डायल 112 गाडी से व अकेले बाईक से भी प्रार्थिनी के गांव अक्सर आते रहते थे। प्रार्थिनी के घर आकर बात करने का प्रयास भी करते थे, प्रार्थिनी को कल्याणी देवी मेला जहां उसकी ड्यूटी ग्राम सभा अरवल में थी, प्रार्थिनी से मिला और कहा कि वह प्रार्थिनी से प्यार करता है उसके बारे में सब जानकारी किया है और प्रार्थिनी को उसके बच्चों सहित अपना लेगा। प्रार्थिनी से लगातार सम्पर्क करने लगा और खुद को कुंवारा बताया। प्रार्थिनी से शादी करने का वादा करने लगा, प्रार्थिनी की मजबूरी का फायदा उठाकर शादी का झांसा देकर प्रार्थिनी से कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया। प्रार्थिनी से माह अक्टूबर 2025 से ए0एफ0 खान (आमिर फिरदौस खान) से सम्पर्क में है और प्रार्थिनी परी से उसके मोबाइल नम्बर 9971478740 पर अपने मोबाइल नम्बर 6388262145 व 7054933009 से बराबर बात भी करता था, व्हाटसअप व इंस्टाग्राम आईडी (आमिर फिरदौस) से भी कालिंग करता था, प्रार्थिनी से चैट भी करता था, प्रार्थिनी व ए०एफ० खानके शारीरिक सम्बन्ध से माह दिसम्बर 2025 में गर्भ धारण भी हुआ, इसकी जानकारी ए०एफ० खान को हुई तो उसने प्रार्थिनी को गर्भपात कराने को मजबूर किया, और 10 फरवरी 2026 को दवा खिला दिया, प्रार्थिनी की नाराजगी जाहिर करने पर उसको मारा पीटा, और जान से मार डालने की धमकी दिया। प्रार्थिनी से धोखा, विश्वासघात से शादी करने की बात करने की बात कहकर अक्टूबर 2025 से माह जनवरी 2026 तक कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाया है। प्रार्थिनी 10 फरवरी 2026 से लगातार भयभीत है। प्रार्थिनी को ए०एफ० खान से जान का खतरा बना हुआ है, ए०एफ० बान धमकी दे रहा पुलिस हूं तुमको जेल भेजवा दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती, व कभी भी प्रार्थिनी की रहा है कि मैं हत्या करवा सकता है। प्रार्थिनी मजबूर होकर घटना की सूचना श्रीमान् जी को दे रही है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि, प्रार्थिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाकर प्रार्थिनी की जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की कृपा की जाय।''

8. प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त जोकि उक्त मुकदमें में नामजद अभियुक्त रहा है, के ऊपर वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा बिना उसकी सहमति के उसका गर्भपात कराये

जाने व उसे मॉ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोग है।

9. केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, पीड़िता द्वारा धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान में यह कहा गया है कि, ''पीड़िता अनीता पुत्री सन्तराम ग्राम गौरा बरामऊ थाना बल्दीराय सुलतानपुर की मूल निवासनी हूँ मेरी उम्र 31 वर्ष है मै पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरी शादी राम जी से पहले से हो चकी थी और मेरा पास दो बच्चे भी है मेरे पति रामजी किसी और लड़की से बात करते थे शादी के कुछ सालो बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर लिया। फिर जब से मै अपने पिता के घर पर ही रहती हूँ। हूँ। मै आमिर फिरदौस खान को इंस्टाग्राम से जानी हूँ। फिर हमएक दूसरे से बात चीत करने लगे और एक दूसरे को पसंद व प्यार करने लगे। और हम दोनो के बीच कई बार शारीरिक सम्बन्ध भी बने है और हमे हमेशा शादी का झांसा देता रहा। और अपने को कुंवारा बताया है। और मुझे शारीरिक सम्बन्ध के दौरान मुझे गर्भ धारण भी हो गया था। फिर मैने आमिर फिरदौस खान (सिपाही) को गर्भ धारण के बारे मे बताया तो आमिर ने मुझे गर्भपात की दवा खा लो फिर मुझे 10 फरवरी 2026 को दवा लाकर दिया और खाने को कहा मैने दवा खाई तो मेरे गर्भपात हो गया। फिर मैने आमिर को कई बार फोन किया तो मेरा फोन नही उठाया। और मुझे जान से मरवाने की धमकी दिया और कहा मै पुलिस मे हूँ तुम मेरा कुछ नही कर पाओगी। यही मेरा बयान है। बयान मै अपनी मर्जी से दे रही हूं।''

10. इसी प्रकार पीड़िता द्वारा धारा–183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह बयान दिया गया है कि, ''आमिर फिरदौस सिपाही है और 112 पर ड्यूटी करते थे मुझे अक्टूबर 25 मे इंस्टाग्राम पर फोन किया और कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ और बात करना चाहता हूँ मैने कहा कि मेरे 2 बच्चे है तो बोला कि मैं आपको बच्चो के साथ एक्सेप्ट करूंगा। उसके बाद एक बार मेले वाले दिन मुझे बुलाया और शारीरिक संबन्ध बनाया। शादी का झासा देकर उसके बाद भी सम्बन्ध बनाते रहे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो दवा खिलाकर मेरा बच्चा गिरवा दिया। अब धमकी देते है कि मुझे फोन किया तो तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। मैं पुलिस में हूँ और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी।'' पीड़िता के उपरोक्त वर्णित कथनों का समर्थन प्रस्तुत मामले के अन्य साक्षीगण द्वारा भी सम्बन्धित केस डायरी पर दिये गये बयानों में किया गया है।

11. पीड़िता से सम्बन्धित मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है, जिसमें उसका यू0पी0टी0 पॉजिटिव होना अंकित है। केस डायरी के पर्चा संख्या–5 पर पीड़िता का मेडिकल करने वाले डॉ0 सरिता रानी, सी0एचसी0 बल्दीराय का

बयान अंकित किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह बयान दिया गया है कि, ''उनके द्वारा पीड़िता का बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षण किया गया था तथा रिपोर्ट तैयार कर म0का0 सबिता यादव को सुपुर्द किया गया था, पीड़िता का रक्तश्राव पायी गयी।'' आवेदक/अभियुक्त के ऊपर एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर बलात्संग किये जाने तथा बिना उसकी सहमति के उसका गर्भपात कराये जाने व उसे मॉ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियॉ देकर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। पत्रावली पर प्रथमदृष्टया आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त की नामजदगी, अपराध की गम्भीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए जमानत हेतु पर्याप्त आधार नहीं है, तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त आमिर फिरदौस पुत्र फिरोज अहमद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–55/2026, अन्तर्गत धारा–64(2)(a)(i), 89, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना बल्दीराय, जिला सुलतानपुर में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

आवेदक की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

ह0/–

(राकेश)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 प्रथम)
सुलतानपुर

दिनॉक–19.03.2026